न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री मुकेश कुमार चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 45 / 2023 (अपील)

उनवान

शोकत अली पुत्र श्री शब्बीर अहमद आयु 44 वर्ष निवासी पिंकी टेलर के पास बजाजखाना मेहरापाडा कोटा हाल निवासी ग्राम मूण्डला तहसील दीगोद जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री हेमन्तकृष्णा विजय (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. पेरोकार सरकार (राजकीय पेरोकार रेस्पो0 की ओर से)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी आदेश दिनांक 24.07.2023 मि0नं0 1442 / 2023
न्यायालय तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा

निर्णय दिनांक :30.08.2024

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश विधि, न्याय एंव संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित हुऐ। अधिनस्थ न्यायालय से मौका रिपोर्ट भिजवाई। जो पत्रावली में सलग्न है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का अपील बहस में कथन है कि ग्राम मूण्डला की आराजी ख0न0 131 रकबा 0.01 हैक्टर पर अपीलाण्ट ने फसल पत्थर नीव कर अतिकमण करना बताया और दिनाक 20.07.2023 को प्रकरण को दर्ज कर दिनांक 24.07.2023 को निर्णय पारित कर दिया गया। अतिकमण हटाने व नष्ट करने के आदेश पारित कर दिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नितान्त गलत है दिनांक 20.07.2023 को अपीलाण्ट ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर दिया था, जिसमे स्पष्ट रूप से यह अंकित किया था कि अपीलाण्ट के कब्जे शुदा दुकान भूखण्ड सं0 132 का भाग है, ख0न0 131 में अपीलाण्ट की दुकान बनी हुई नहीं है। ख0न0 131 ग्राम मूण्डला का कुल क्षेत्रफल 0.50 हैक्टर है एवं इस

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

सम्पूर्ण ख0न0 पर ग्राम मूण्डला के निवासीयान के मकान बने हुए है जिसमें ख0न0 132 से लगवां ख0न0 131 की और हीललाल कुम्हार का मकान है। अधीनस्थ की दुर्भावना इसी से प्रदर्शित होती है कि ख0न0 132 पर किसी भी कब्जे धारी को नोटिस नहीं दिया गया मात्र अपीलाण्ट को नोटिस दिया गया। अपीलाण्ट की दुकान के पीछे जो खेत है वो खेत मालिक अशोक मेघवाल पुत्र स्व रामगोपाल तहसीलदार जी के सम्पर्क में था। उसको लाभ पहुंचाने के लिए प्रकिया किये बिना ही आदेश पारित किया गया। उक्त प्रकरण में दिनांक 18.07.2023 को नोटिस जारी करके उसी दिन नोटिस अपीलाण्ट को मिल गया। और अपीलाण्ट ने दिनांक 20. 07.2023 को जवाब प्रस्तुत कर दिया था। अपीलाण्ट को साक्ष्य का अवसर एव बहस का अवसर दिये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश के प्रथम पेज पर नीचे से चौथी लाईन में यह अंकित कर दिया कि कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी जबकि साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। ख0न0 132 क्षेत्रफल 0.31 हैक्टर के 1/2 हिस्से का खातेदार राजाराम पुत्र शिवराम था राजाराम के द्वारा अपने हिस्से की जमीन के बाबत मुख्तारनामा मुजफफर हुसैन के पक्ष में अंकित किया था। मुजफफर हुसैन के द्वारा उक्त भू– भाग जिसका क्षेत्रफल 292 वर्गफूट हंसराज को बेची थी और हंसराज ने अपीलाण्ट शोकत अली को बेची है, अपीलाण्ट का भू–भाग ख0न0 132 का भाग है जो वर्तमान में भी खातेदारी में अंकित है सिवायचक नहीं है। अपीलाण्ट जिस अशोक मेघवाल पुत्र स्व0 रामगोपाल को लाभ पहुंचाने का उल्लेख अपील मेमो में कर रहा है उस अशोक मेघवाल के द्वारा अपने पिता के नाम से ख0न0 132 पर रास्ता दिलाये जाने के बाबत एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद के समक्ष भी प्रस्तुत किया था। जिस पर मौका कमिश्नर की रिपोर्ट भी मंगवायी गई है जिससे भी पता चला है कि व भू– भाग ख0न0 132 का भाग है स्वंय अशोक मेघवाल ने अपने आवेदन में अपीलाण्ट की जगह ख0न0 132 की बता कर वहा रास्ता चाहा है जिससे भी स्पष्ट है कि व स्थान ख0न 132 का ही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय पेरोकार का बहस में कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने सें बेदखल किया गया है। उसके बावजूद अप्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण किया है। मौका रिपोर्ट दिनांक 1.08.2024 के अनुसार ख0न0 131 के पश्चिमी भाग पर कुछ मकान,पक्का थडा व ख0न0 132 में कोटा सुल्तानपुर रोड से लगवां भूमि पर कुल मकान एवं एक पक्का थडा बना हुआ है। मुताबिक ग्राम वासियान द्वारा उक्त थडा शोकत अली पुत्र शब्बीर अहमद द्वारा निर्मित किया गया है। शोकत अली द्वारा सरकारी भूमि पर अतिकमण किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।.

6. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का बहस में कथन रहा है कि अपीलाण्ट के कब्जे शुदा दुकान भूखण्ड सं0 132 का भाग है, ख0न0 131 में अपीलाण्ट की दुकान बनी हुई नहीं है। ख0न0 131 ग्राम मूण्डला का कुल क्षेत्रफल 0.50 हैक्टर है एवं इस सम्पूर्ण ख0न0 पर ग्राम मूण्डला के निवासीयान के मकान बने हुए है जिसमें ख0न0 132 से लगवां ख0न0 131 की और हीरालाल कुम्हार का मकान है। ख0न0 132 क्षेत्रफल 0.31 हैक्टर के 1/2 हिस्से का खातेदार राजाराम पुत्र शिवराम था राजाराम के द्वारा अपने हिस्से की जमीन के बाबत मुख्तारनामा मुजफफर हुसैन के पक्ष में अंकित किया था। मुजफफर हुसैन के द्वारा उक्त भू– भाग जिसका क्षेत्रफल 292 वर्गफूट हंसराज को बेची थी और हंसराज ने अपीलाण्ट शोकत अली को बेची है, अपीलाण्ट का भू–भाग ख0न0 132 का भाग है जो वर्तमान में भी खातेदारी में अंकित है सिवायचक नहीं है।

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

7. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वाके ग्राम मूण्डला तहसील दीगोद की वादग्रस्त आराजी ख0न0 131 की 0.01 है0 सिवायचक भूमि पर निर्माण कार्य करना जाहिर हो रहा है साथ ही 131 के लगवा खातेदारी भूमि ख0न0 132 रकबा 0.31 है जो छोट्या पुत्र भैरू, राजाराम पुत्र शिवराज के खाते दर्ज है जो अतिक्रमी द्वारा इकरारनामे के आधार पर क्रय करना बताया है। इस प्रकार हम यह पाते है कि तहसीलदार दीगोद द्वारा ख0न0 131 रकबा 0.01 है से बेदखली की कार्यवाही जो कि सिवायचक राज्य सरकार खाता संख्या 1 की भूमि है, उचित है। उस पर कोई दखल देना यह न्यायालय उचित नहीं समझता परन्तु ख0न0 132/0.31 है0 भूमि वर्तमान में रिकार्ड मे खातेदारी की है। जिस पर एल0आर एक्ट धारा 91 के प्रावधान लागू नही होते है। अतः खातेदारी खसरा सं0 132 पर बनी संरचनाओ पर एल0आर0 एक्ट धारा 91 अप्लाई कर किसी प्रकार का दखल तहसीलदार द्वारा नहीं किया जा सकता है। अतः तहसीलदार दीगोद राजकीय सिवायचक खसरा संख्या 131 पर विधिनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

8 निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा

अति. जिला कलेक्टर
कोटा